संख्याः 515 / XXIV–2/2005

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
निधालयी शिक्षा,
उत्तरांचल, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांक 24 मार्च ,2005

विषयः माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न योजनाओं में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः अर्थ–1/45277/पुनर्विनियोग/2004–05 दिनांक 11मार्च,2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में सलग्न बी.एम. –15 प्रपत्र में उल्लिखित विवरणानुसार माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में पुनर्विनियोग के माध्यम से आयोजनागत पक्ष में रू0 69,21,000/– एवं आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 20,01,20,000/– इस प्रकार कुल रू0 20,70,41,000/– (रूपये बीस करोड़ सत्तर लाख इकतालिस हजार मात्र)की धनराशि को स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– आयोजनागत पक्ष में स्वीकृत की जा रही धनराशि को नियोजन विभाग द्वारा संबंधित योजनाओं में आवंटित परिव्यय सीमा तक ही व्यय को सीमित रखे जाने का दायित्व शिक्षा निदेशक का होगा।

3– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों के कार्यान्वयन हेतु नहीं किया

जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/ शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा:—

1— योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति / स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

2— यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवयल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

3— अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

4— आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाय।

5— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004—05 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 के अधीन लेखा शीर्षक "2202—सामान्य शिक्षा—02 —माध्यमिक शिक्षा— के अधीन संलग्न बी. एम.—15 में उल्लिखित संबंधित ब्यौरेवार शीर्षक/ सुरांगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 458/वि0अनु0-1/05 दिनॉक 22/3/2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक– बी0एम0–15 प्रपत्र।

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

संख्याः 515 (1)/XXIV–2/2005 तद्‌दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरॉचल, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल– पौड़ी/ कुमायूँ मण्डल–नैनीताल।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6– समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
7– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरांचल।
8– वित्त विभाग/ नियोजन प्रकोष्ठ।
9– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)।
10– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संलग्नक– बी0एम0–15 प्रपत्र।

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त संसाधन विकास विभाग
संख्याः 423 / वि0अनु0–4 / 2005
देहरादून दिनाँक 22 मार्च,2005

पुनर्विनियोग स्वीकृत।

22/3/2005
(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल, देहरादून।

संख्या 515 (2)//XXIV-2/2005 /तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3– वित्त अनुभाग–4।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

प्रपत्र -बी0एम0 15 पैरा 156

धनराशि हजार

नियन्त्रक अधिकारी-सचिव शिक्षा प्रशासनिक विभाग-मानव संसाधन विभाग वित्तीय वर्ष 2004-05

| बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण | मानक मदवार अद्यावधिक व्यय | वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय | अवशेष (सरप्लस धनराशि) | लेखाशीर्षक जिसमे धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है तथा स्थानान्तरित धनराशि | पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ 5 को कुल धनराशि | पुर्नविनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ 1 में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2202-सामान्य शिक्षा | | | | 2202-सामान्य शिक्षा | | |
| 02-माध्यमिक शिक्षा(आयोजनेत्तर) | | | | 02-माध्यमिक शिक्षा(आयोजनेत्तर) | | |
| 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय | | | | 001-निदेशन तथा प्रशासन | | |
| 03-बालक एवं बालिका | | | | 03-माध्यमिक शिक्षा काअधिष्ठान | | |
| 06 अन्य भत्ता 275000 | 155225 | 69775 | 50000 | 03-महगाई भत्ता 850 | 2530 | 234880 |
| 48 मंहगाई वेतन 1000000 | 705345 | 134655 | 160000 | 17-किराया,उपशुल्कओर कर स्वमित्व | | 840000 |
| | | | | 29 | 129 | |
| | | | | 101-निरीक्षण | | |
| | | | | 03-क्षेत्रीय निरीक्षण | | |
| | | | | 03-मंहगाई भत्ता 5679 | 14079 | |
| | | | | 17-किराया,उपशुल्कओर कर स्वमित्व | | |
| | | | | 37 | 207 | |
| | | | | 109-राजकीय मा0 विद्यालय | | |
| | | | | 03-बालक एवं बालिका | | |
| | | | | 03-महगाई भत्ता 192555 | 612555 | |
| | | | | 10-जलकर 204 | 704 | |
| | | | | | | |
| | | | | 08-अराजकीय मा0वि0 का प्रान्तीकरण | | |
| | | | | 03 मंहगाई भत्ता 50 | 470 | |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 80-सामान्य | | |
| | | | | 003-प्रशिक्षण | | |
| | | | | 03-राजकीय प्रशिक्षण संस्थायें (पुरुष) | | |
| | | | | 03 मँहगाई भत्ता 326 | 851 | |
| | | | | 04-राजकीय प्रशिक्षण संस्थायें प्राथमिक(महिला) | | |
| | | | | 03 मँहगाई भत्ता 91 | 280 | |
| | | | | 004-अनुसंधान | | |
| | | | | 03-परिषद का मनोविज्ञान तथा | | |
| | | | | शैक्षिक निदेशन विभाग | | |
| | | | | 03 मँहगाई भत्ता 30 | 114 | |
| | | | | | | |
| | | | | 2205-कला एवं संस्कृति | | |
| | | | | 105-सार्वजनिक पुस्तकालय | | |
| | | | | 03-केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय | | |
| | | | | 03 मँहगाई भत्ता 80 | 332 | |
| | | | | 17-किराया,उपशुल्कऔर कर स्वामित्व | | |
| | | | | 129 | 130 | |
| | | | | 04-वर्तमान रा0जिला पुस्तकालयों का विकास | | |
| | | | | तथा नये पुस्तकालयों की स्थापना | | |
| | | | | 03 मँहगाई भत्ता 60 | 312 | |
| | | | | | | |
| सम्पूर्ण योग- 1275000 | 860570 | 204430 | 210000 | सम्पूर्ण योग- 200120 | 632693 | 1074880 |

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग में बजट मैन्युवल के परिच्छेद 150, 151, 155, 156 का उल्लंघन नहीं हो

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

प्रपत्र -बी0एम0 15 पैरा 156 धनराशि हजार

नियन्त्रक अधिकारी-सचिव शिक्षा प्रशासनिक विभाग-मानव संसाधन विभाग वित्तीय वर्ष 2004-05

| बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण | मानक मदवार अध्यावधिक व्यय | वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय | अवशेष (सरप्लस धनराशि) | लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है तथा स्थानान्तरित धनराशि | पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि | पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ 4 में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2202-सामान्य शिक्षा | | | | 2202-सामान्य शिक्षा | | |
| 02-माध्यमिक शिक्षा(आयोजनागत) | | | | 02-माध्यमिक शिक्षा(आयोजनागत) | | |
| 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय | | | | 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय | | |
| 91-राजकीय हाईस्कूलों का इण्टर स्तर | | | | 91-राजकीय हाईस्कूलों का इण्टर स्तर | | |
| तक उच्चीकरण(जिला यो0) | | | | तक उच्चीकरण(जिला यो0) | | |
| 48 महंगाई वेतन 32500 | 20061 | 3251 | 9188 | 03 महंगाई भत्ता 2750 | 16400 | 25579 |
| | | | | | | |
| | | | | 80-सामान्य | | |
| | | | | 003-प्रशिक्षण | | |
| | | | | 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा | | |
| | | | | पुरोनिधानित योजना | | |
| | | | | C191-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (100प्रति0केन्द्रांश) | | |
| | | | | 03 महंगाई भत्ता 3881 | 10181 | |
| | | | | 09 विद्युत 250 | 350 | |
| | | | | 10 जलकर 40 | 90 | |
| सम्पूर्ण योग- 32500 | 20061 | 3251 | 9188 | सम्पूर्ण योग- 6921 | 27021 | 25579 |

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग में बजट मैन्युअल के परिच्छेद 150, 151, 155, 156 का उल्लंघन नहीं होता

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव